उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या- 09/2017/1575/22-1-2017-151/2000टी0सी0-।।।

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या-1263/22-1-2000-577/97टी0सी0 दिनांक 30-05-2000 द्वारा विभाग में "अपर महानिदेशक कारागार (विभागीय) एवं "अपर महानिदेशक कारागार (प्रशिक्षण एवं विकास) का पदनाम परिवर्तित करते हुए क्रमशः "अपर महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें" एवं "अपर महानिदेशक कारागार प्रशिक्षण एवं विकास" किया गया था। इस संबंध में महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या- 28822/गो0(1) 30/2017 दिनांक 10-08-2017 द्वारा प्राप्त आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत उक्त पदनामों को उनके सम्मुख स्तम्भ -3 में अंकित पदनाम रखते हुए परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	वर्तमान पदनाम	परिवर्तित पदनाम
1	2	3
1	अपर महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें	"अपर महानिदेशक कारागार (विभागीय)
2	"अपर महानिदेशक कारागार प्रशिक्षण एवं विकास"	"अपर महानिदेशक कारागार (प्रशिक्षण एवं विकास) सम्पूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

2- इस प्रकार संदर्भित विज्ञप्ति दिनांक 30-05-2000 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। उपरोक्त पदनाम परिवर्तन इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगे कि संबंधित पद धारकों को वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान एवं भत्तो में पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 09/2017/1575(1)/22-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार आडिट प्रथम/लेखा प्रथम, इलाहाबाद।

2- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त उप महानिरीक्षक कारागार परिक्षेत्र / वरिष्ठ अधीक्षक कारागार/ अधीक्षक कारागार विभाग उत्तर प्रदेश।

8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।